Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to enhance the amount of compensation due to loss of life and property caused by animals in and around Sariska and Ranthambore wildlife sanctuaries in Rajasthan -laid.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य जीव अभ्यारणों में अथवा उनके बाहर, वन्य जीवों द्वारा जन हानि अथवा घायल किये जाने पर जो क्षतिपूर्ति की जाती है, वह अत्यंत कम है । साथ ही वन्य जीवन अभ्यारण्यों के बाहर रह रहे किसान एवं पशुपालक अपने कृषि उपज तथा पालतू पशुओं की क्षति हो जाने पर उन्हें अत्यंत कम राशि दी जा रही है, जो वर्तमान में निम्न प्रकार है:-

जन हानि पर - रुपये 4,00,000/-

स्थायी अयोग्यता - रुपये 2,00,000/-

अस्थायी अयोग्यता - रुपये 40,000/-

पालतू पशुओं को :-

भैंस व बैल - रुपये 20,000/-

गाय - रुपये 10,000/-

बकरी/भेड़ - रुपये 2,000/-

ऊंट - रुपये 20,000/-

सरिस्का व रणथम्बोर अभ्यारण्यों में आये दिन क्षति होती है । मुआवजा प्राप्त करने में किसानों एवं पशुपालकों को भुगतान में भी भारी कठिनाई आती है । अतः मेरा निवेदन है कि कानून में सरलीकरण करते हुए जनहानि/जीव हानि की राशि चौगुनी की जाये । जंगली जानवरों द्वारा फसल के नुकसान की भरपाई भी कृषकों को दी जाये । यह शत-प्रतिशत केन्द्रीय योजना में आता है ।

अतः वन व पर्यावरण मंत्री जी को इस समस्या के समाधान की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।